बिहार लोक सेवा आयोग,
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना

आवश्यक सूचना–सह–दिशा निर्देश

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्राचार्य के पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु प्रकाशित वि.सं. 13/2020 के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित विज्ञापन में निहित शर्तों के आधार पर अर्हित/अनर्हित उम्मीदवारों की सूची (कारण सहित) आयोग के बेवसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की गयी है।

2. अनर्हित उम्मीदवारों को यदि अपनी अनर्हता पर कोई आपत्ति हो तो वे अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में साक्ष्य/ प्रमाण (जो प्रासंगिक हों) के साथ आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध विहित आपत्ति प्रारूप में आपत्ति अभ्यावेदन **सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट** के माध्यम से इस प्रकार भेजें कि वह **दिनांक– 09.05.2022** तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

3. आपत्ति अभ्यावेदन के साथ–साथ बेवसाईट पर उपलब्ध विहित आपत्ति प्रारूप को साक्ष्य सहित भरकर संलग्न करना आवश्यक होगा।

4. अनर्हित उम्मीदवार प्रकाशित अनर्हता के कारणों के अवलोकनोपरांत अपनी अर्हता सम्बन्धित सभी साक्ष्य/प्रमाण तथा विहित प्रारूप में भरी गई सूचनाओं एवं अंकित दिशा–निर्देश के आलोक में सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

5. आपत्ति अभ्यावेदन के विचारोपरान्त उम्मीदवारों को अर्हित योग्य पाये जाने पर उन्हें औपबंधिक रूप से अर्हित किया जायेगा। तत्पश्चात् अर्हित उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

6. अर्हित उम्मीदवरों के अंकों की गणना का प्रदर्शन विज्ञापन की शर्त्तों के आलोक में आयोग के वेबसाईट पर कर दिया गया है, जिसे उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन भरते समय दिये गये User ID & Password डालकर देख सकते हैं। अंकों की गणना पर यदि किसी उम्मीदवार को आपत्ति हो तो वे भी निर्धारित तिथि तक अपनी आपत्ति अभ्यावेदन साक्ष्य सहित भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार से प्राप्त आपत्ति पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

7. उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन नम्बर को ही अनुक्रमांक माना गया है। उम्मीदवार प्रकाशित सूची में अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं नाम के आधार पर अर्हता/अनर्हता की स्थिति से अवगत हो सकते हैं।

8. ऐसे आवेदक जिनके ऑनलाईन समर्पित आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में अप्राप्त है, उन्हें निदेश दिया जाता है कि यदि उन्होंने अपने आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजा है तो इससे सम्बन्धित साक्ष्य/प्रमाण के रूप में उनके द्वारा भेजे गये स्पीड पोस्ट/निबंधिक डाक के Receipt की छायाप्रति संलग्न करते हुए भेजे ताकि स्पष्ट हो सके कि उनका आवेदन विज्ञापन की अंतिम तिथि के पहले प्राप्त हो चुका है। साथ ही ऐसे उम्मीदवार अपने आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।

25.4.22

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना